बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई०ए०एस०संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14

विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई.सी.ई.बी.(आई.टी.आई.सी.ए.टी.)-2020/14 दिनांक- 20.02.2021

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT)-2020 की पूर्व प्रकाशित मेधासूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र सीट आवंटन के पश्चात् उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत विभिन्न NCVT / SCVT पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध Offline कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार हेतु आवश्यक सूचना

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT)-2020 मे सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों / सम्बन्धित ITI संस्थान के प्राचार्य तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ITICAT-2020 की पूर्व प्रकाशित मेधासूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से विभिन्न NCVT / SCVT पाठ्यक्रमों में हुए सीट आवंटन एवं तद्नुसार नामांकन के पश्चात् शेष रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार/ संस्थानवार / कोटिवार रिक्तियाँ पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी हैं। वर्त्तमान रिक्तियों में वृद्धि की सम्भावना है जिसे विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त कॉउन्सेलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पर्षद के website पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

   इन सीटों को भरने हेतु Offline Mop-up Counselling दिनांक 28.02.2021 से प्रारम्भ होगा। यह Offline Counselling पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में आयोजित होगा। उक्त Mop-up कॉउन्सेलिंग में भाग लेने हेतु ITICAT-2020 में सम्मिलित सभी पात्रता-प्राप्त अभ्यर्थियों, चाहे वे पूर्व की online कॉउन्सेलिंग के आधार पर नामांकित हों या न हों, से Mop-up Counselling में भाग लेने हेतु Online Willingness आमन्त्रित किये जाते हैं। **Online Willingness दिनांक 21.02.2021 से दिनांक 25.02.2021 तक प्राप्त किये जायेंगे।** मेधाक्रम सहित साक्षात्कार कार्यक्रम पर्षद की वेबसाईट पर दिनांक **27.02.2021** को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2. उपरोक्त कंडिका-1 के अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध Mop-up कॉउन्सेलिंग के आधार पर पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु विज्ञापन सं.- **बी.सी.ई.सी.ई.बी.(आई.टी.आई.सी.ए.टी.)-2020/11 दिनांक- 24.12.2020** द्वारा पर्षद के वेबसाईट पर upload किये गए मेधासूची [जिसे अभ्यर्थी website के Home page पर "Download Rank Card of ITICAT-2020' link पर click कर अपना Roll No. एवं जन्म तिथि डालकर मेधाक्रम प्राप्त कर सकते हैं] में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी Willingness देने हेतु योग्य हैं।

3(क). उपरोक्त कंडिका-2 के अनुसार पात्रता प्राप्त प्रत्येक उम्मीदवार आरक्षण कोटिवार अपना मेधाक्रम निम्नवत् प्रक्रिया से प्राप्त कर ITICAT-2020 की उपरोक्त Mop-up कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त करें;

"पर्षद के वेबसाईट bceceboard.bihar.gov.in के Home page पर जाकर "Willingness for ITICAT-2020 Mop-up Round Offline Counselling" link पर click कर प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर ITICAT-2020 का अपना रौल नं. एवं जन्म तिथि डाल कर मेधाक्रम की जानकारी प्राप्त कर 'SUBMIT YOUR WILLINGNESS' बटन पर Click करें और उसका प्रिंट निकाल ले जिस पर उसका कोटिवार मेधा क्रम एवं Option ID अंकित होगा । इस प्रिंट को कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

(ख) उपरोक्त कंडिका-3 (क) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उपरोक्त कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए कंडिका-1 में वर्णित निर्धारित अवधि में अपना Willingness को Online submit करना अनिवार्य है अथवा वे इस Mop-up Counselling हेतु अपना दावा खो देंगे।

4. उपलब्ध रिक्तियों पर पुनर्आवंटन / नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक **27.02.2021** को पर्षद वेबसाईट के माध्यम से दे दिया जायेगा। **Online Willingness <u>देने वाले अभ्यर्थी दिनांक</u>** <u>27.02.2021</u> **<u>को प्रकाशित किये जाने वाले जिलावार</u>** (District wise) **<u>कार्यक्रम अनुसार ही</u>** कॉउन्सेलिंग हेतु पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में उपस्थित होंगे।

5. वैसे अभ्यर्थी, जो ITICAT-2020 की प्रथम या द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से किसी संस्थान में नामांकित हैं, और संस्थान/ ब्रांच में परिवर्तन चाहते हैं वे भी दिनांक **21.02.2021** से दिनांक **25.02.2021** की अवधि में इस Mop-up कॉउन्सेलिंग हेतु Online Willingness Submit करेंगे, उनके लिए उस सम्बन्धित संस्थान के पाठ्यक्रमों की अद्यतन उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पुनर्आवंटन (Re-Allotment) की सुविधा रहेगी।

6. (क) **<u>इस विज्ञापन की कंडिका-3(ख) के अनुसार कॉउन्सेलिंग हेतु पात्रता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज दो स्वसत्यापित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार के लिये साथ लाना अनिवार्य है:</u>**

   i. मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश-पत्र, मूल अंक-पत्र तथा मूल/ औपबंधिक प्रमाण-पत्र (ख) मूल जाति प्रमाण-पत्र (ग) मूल आवासीय प्रमाण-पत्र (घ) चरित्र प्रमाण-पत्र (ङ) विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हों, यथा- Economical Weaker Section (EWS) प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक SMQ हेतु भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र आदि तथा विकलांगता कोटा DQ हेतु प्रमाण पत्र आदि (विवरण पुस्तिका की कंडिका 7.1 से 7.4 के अनुसार)। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मूल निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें।

   i. Copy of Aadhar Card.
   ii. 6 (Six) copies of the passport size Photograph which was pasted on the Admit Card ITICAT-2020.
   iii. Original Admit Card of ITICAT-2020.
   iv. Rank Card of ITICAT-2020 for Mop-up Counselling

v. Downloaded print of Online filled **Application Form (Part-A & Part-B [Hardcopy]**) ITICAT-2020.

vi. The Verification Slip (जाँच-पर्ची) in 2 copies as downloded alongwith Biometric Form in 1 copy साक्षात्कार / Document Verification के समय साथ लाना अनिवार्य है।

(ख) यदि उम्मीदवार का किसी आई.टी.आई. संस्थान में नामांकन हो चुका है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद एवं Verification Slip अथवा उस संस्थान के प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उम्मीदवार उस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का **Bonafide** छात्र है और उसके सभी मूल प्रमाण-पत्र उस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में जमा हैं । प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का ITICAT-2020 का रौल नं., मेधा क्रम तथा कोटि जिसके अन्तर्गत उसका नामांकन हुआ है, का भी उल्लेख रहना चाहिये।

7. आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधा-सूची में सम्मिलित हैं, उनके रौल नम्बर (Unreserved [UR]) कोटि की मेधा-सूची में तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित कोटि की मेधा- सूची में भी अंकित हैं । ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान/ पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) के मेधा क्रमांक पर कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। अत: आरक्षण कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि (Unreserved [UR]) की मेधासूची में सम्मिलित है उनको अपने (Unreserved [UR]) मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को कॉउन्सेलिंग हेतु आना अनिवार्य है । अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जायेंगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन की कंडिका-2 एवं कंडिका-3 के अनुसार इस कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पात्रता प्राप्त (eligible) हैं उनको इस साक्षात्कार हेतु अलग से कॉउन्सेलिंग पत्र नहीं भेजा जा रहा है । **ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कंडिका-3(क) के अनुसार निर्धारित तिथि तक कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए Online Willingness submit किया है तो वे इस सूचना के आधार पर उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार वेबसाईट से कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम प्राप्त करने के बाद, निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में निश्चित् रूप से उपस्थित हों अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जायेगा जिसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक Online Willingness submit नहीं करेंगे, वे कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे ।**

9. मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे ।

परीक्षा नियंत्रक